



2026:AHC:51149

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9346/2026

विमलेश कुमार पाण्डेय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: हरेंद्र यादव

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. याची द्वारा वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-जिलाधिकारी, ज्ञानपुर, जनपद भदोही द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत पारित दिनांक 19.03.2025 के आदेश का अनुपालन कराया जाए।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि याची द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(2) के अंतर्गत आरंभ की गई कार्यवाही, जो प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष वाद संख्या 0438 सन् 2019 के रूप में पंजीकृत थी, में दिनांक 19.03.2025 को याची के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उक्त आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है।
4. इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा वादों के एक समूह में, जिसमें प्रमुख वाद **रिट-सी संख्या 35470 सन् 2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य)** है, जो दिनांक 18.12.2025 को निर्णयित किया गया, में विधि सुव्यवस्थित रूप से प्रतिपादित की जा चुकी है, जिसमें अनुच्छेद संख्या 44 से 46 में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए हैं :-

“44. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 उप-जिलाधिकारी (एस.डी.ओ.) को सीमांकन संबंधी विवादों के संक्षिप्त निस्तारण हेतु वैधानिक अर्द्ध-न्यायिक शक्तियां प्रदान करती है, जिसके साथ सीमांकन एवं कब्जा बहाली के प्रभावी क्रियान्वयन की अनिवार्य शक्ति भी निहित है। आदेश का अनुपालन वैकल्पिक न होकर उक्त प्रावधान की प्रभावशीलता का अभिन्न अंग है—इसके अनुपालन में विफलता संपूर्ण संक्षिप्त प्रक्रिया को निष्प्रभावी कर देती है तथा विधायी आशय को विफल करती है। प्रस्तुत व्यापक दिशानिर्देशों का उद्देश्य एक सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करना है, जो वैधानिक प्रावधानों (संहिता, 2006 की धारा 24; नियमावली, 2016 का नियम 22), कार्यपालिका के निर्देशों (दिनांक 16.12.2025 के शासनादेश), प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों तथा निष्पक्षता एवं लोक व्यवस्था के संवैधानिक दायित्वों के मध्य समन्वय स्थापित करती है। संबंधित प्रतिवादीगण, विशेषतः

उप-जिलाधिकारी (एस.डी.ओ.) तथा जिलाधिकारी, विधि द्वारा बाध्य हैं कि धारा 24 के अंतर्गत पारित आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

45. उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का राज्य भर के समस्त राजस्व प्राधिकारियों के बीच प्रसार किया जाए। साथ ही, अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने तथा आरसीसीएमएस प्रोटोकॉल के अनुपालन हेतु उपयुक्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

46. प्रतिवादीगण, विशेषतः संबंधित उप-जिलाधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस वाद-समूह की वर्तमान रिट याचिकाओं में पारित समस्त आदेशों का, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, स्वीकृत साइट मेमो/सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, जिसमें सीमा चिह्नों की स्थापना तथा आवश्यकतानुसार कब्जा बहाली भी सम्मिलित हो। "

5. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए संबंधित उप-जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 19.03.2025 के आदेश का, विधि के अनुसार तथा उपर्युक्त उद्धृत मीना देवी (उपर्युक्त) वाद में की गई टिप्पणियों के आलोक में, कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, यदि इसमें कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पडिया, न्यायमूर्ति)

12 मार्च, 2026